फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

खेराजराम

बनाम

सोनाराम इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 111 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2023	पत्रावली बाद जाचं होकर कार्यालय से पेश हई। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2023 अनवान सोनाराम बनाम खेराजराम में पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति एवं रेस्पोडेंट की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर हो। उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट ने अपने मूल वाद में जो अनुतोष की मांग की है, अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त संपूर्ण अनुतोष को अंतरिम निषेधाज्ञा अर्थात अपीलाधीन आदेश के वक्त ही प्रदान कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक स्टेज पर वाद का संपूर्ण निस्तारण कर दिया है जो गलत है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने नोटिस तामील होने बाद अपने दस्तावेज पेश किये एवं जवाब हेतु समय चाहा, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम आदेश में ही कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हुए मूल वाद के अनुतोष को ही गलत व्याख्या के साथ प्रदान कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पूर्णरूप से गलत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति से विपरीत जाकर आदेश पारित किया है एवं आदेश को प्रथमदृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय किसी जाचं को आवश्यक नही समझता है और मनमाने तौर पर कब्जे की स्थिति रेस्पोडेंट के पक्ष में अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है, जबकि वास्तव में मौके पर वर्षो से ही वक्त खरीद से ही अपीलांट काबिज है, जहॉ बड़ी–बड़ी माठे कायम है, जिस पर तारबंदी की हुई है अर्थात अपीलांट खसरा नं. 558 की बेचाननामा में वर्णित पड़ौस के अनुसार काबिज है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिंदु पर गौर किये बगैर रेस्पोडेंट का कब्जा मानने में भारी वाक्याती भूल की है और इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उस भूमि में अपीलांट को प्रवेश न करने बाबत आदेश पारित कर दिया है। वास्तविक रूप से उपरोक्त प्रकरण तरमीम की अशुद्धि का है, जिसकी जानकारी उपरोक्त वाद में रेस्पोडेंट	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को पेश करने पर हई। तब अविलंब अपीलांट द्वारा तरमीम शुद्धि की कार्यवाही प्रस्तुत कर दी, जिस भूमि की तरमीम रेस्पोडेंट के खातेदारी में कर दी, वह भूमि पूर्व से ही अपीलांट की खरीदसुदा भूमि है एवं मौके पर अपीलांट का कब्जा है तथा तरमीम जो ऑनलाईन तौर पर एकतरफा व बिना सुनवाई के कर दी गई, जिसे निरस्त करना आवश्यक समझते हुए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इन परिस्थितियों में गलत तरमीम का जो आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जिस भूमि का प्रार्थी का विधिवत रूप से कब्जा है, उसके लिए प्रार्थी को अर्थात अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेंट को खेती करने में स्वतंत्र एवं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने का आदेश पारित किया, जबकि खसरा नं. 1751/558 की गलत तरमीम हो रखी है एवं उसकी स्थिति ऑनलाईन तरमीम के आधार पर नहीं है, जहॉ खसरा नं. 1751/558 की स्थिति बताई है, वहॉ पर अपीलांट का कब्जा है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं ओलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब में केवियटर अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट की एकल खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी की तरमीम पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के अनुसार ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन अंतरिम आदेश उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत पारित किया जाना प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किये बिना ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अपीलाट्स के पास विचारण न्यायालस के समक्ष चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राप्त है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेशिका है, के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। 19.07.23 राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का